भारत में उपग्रह संचार हेतु नीतिगत कार्यढांचा

मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित भारत में संचार उपग्रहों हेतु नीतिगत कार्यढांचे का मूल उद्देश्य मजबूत एवं प्रगतिशील संचार उपग्रह तथा भू-उपकरण उद्योग के साथ-साथ भारत में उपग्रह संचार सेवा के उद्योग को विकसित करना है। उपग्रहों, प्रमोचन सेवाओं एवं भू-उपकरण डिजाइन के क्षेत्र में भारत में निर्मित क्षमताओं के उपयोग एवं आगे के विकास तथा इन क्षमताओं को बनाये रखना भी समान-रूप से महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अर्थ व्यवस्था एवं जनसंख्या के बड़े पैमाने पर इन्सैट के माध्यम से निर्मित अवसंरचना को उपलब्ध कराना इस नीति का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। भारत में अंतरिक्ष उद्योग में निजी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने तथा इस क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करना अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इन उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को पहुंचाने में सहायता प्रदान करने हेतु मानदंडों, दिशानिर्देशों एवं कार्यविधियों का प्रतिपादन किया गया है।

वर्ष 1997 में सरकार के अनुमोदन के अनुसार, भारत में उपग्रह संचार नीति हेतु कार्यढ़ांचा निम्नवत है:-

(i) निश्चित सुपरिभाषित मानदंडों का पालन करते हुए गैर-सरकारी (भारतीय एवं विदेशी) पक्षकारों को पट्टे पर देने वाली इन्सैट क्षमता अधिकृत करना;

(ii) परिभाषित की जाने वाली निश्चित शर्तों एवं निबंधनों की शर्त पर भारतीय उपग्रहों के माध्यम से टी.वी. अपलिंकिंग सहित सेवाएं प्रदान करने हेतु भारतीय पक्षकारों को अनुमति प्रदान करना;

(iii) अंतरिक्ष विभाग एवं अन्य संबंधित नियामक प्राधिकारियों के परामर्श से सूचित, अधिसूचित, सहयोजित करने हेतु भारतीय प्रशासन को प्राधिकृत करना तथा कुछ परिभाषित एवं पारदर्शी मानदंडों का अनुपालन करने हेतु भारतीय निजी पक्षकारों द्वारा और उनके लिए भारतीय प्रणालियों एवं नेटवर्कों का पंजीकरण करना। सभी सरकारी एजेंसियों की उपग्रह प्रणालियां अंतरिक्ष विभाग द्वारा स्थापित की जाएं।

(iv) (क) विदेशी उपग्रहों द्वारा भारतीय भूमि से प्रचालन अधिसूचित किए जाने वाले विशेष मामलों की अनुमति दी जाए। ये अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी प्रणालियों, भारतीय पक्षकारों के स्वामित्व एवं प्रचालित प्रणालियां, परंतु भारत में पंजीकरण हेतु नियम प्रतिपादित करने से पूर्व अन्य देशों में पंजीकृत, अंतरराष्ट्रीय निजी प्रणालियां, जहां साम्यता या किसी अन्य प्रकार के सहयोग के माध्यम द्वारा भारत की मजबूत भागीदारी है और जहां पर सुविचारित आवश्यक पारस्परिक व्यवस्थाओं का पंजीकरण या स्वामित्व के देश/ देशों के साथ हल निकाला जा सके।

(ख) जब भारतीय क्षेत्र से प्रचालन की भारतीय एवं विदेशी उपग्रहों, दोनों से अनुमति दी जाए तो भारतीय उपग्रहों के उपयोग को निर्धारित करते हुए प्रस्तावों पर अधिमान्य आधार पर अनुमति प्रदान की जाए।

(ग) डायरेक्ट-टू-होम (डी.टी.एच.) सहित उपग्रह प्रसारण, तकनीकी या सुरक्षा कारणों से इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य हेतु प्रतिबंधितों को छोड़ते हुए भारतीय उपग्रह प्रणालियों या अन्य किसी उपग्रह प्रणाली पर संबंधित कानून के तहत गठित अनुज्ञप्ति अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति दी जाएगी। यदि ऐसे मामले में जहां सेवाओं का प्रचालन विदेशी उपग्रहों से अनुज्ञप्त है, तो इन सेवाओं हेतु अनुज्ञप्तियों के नवीनीकरण एवं पुन: जारी के समय अनुज्ञप्ति अधिकारी से क्षमता की उपलब्धता, जो सेवा की आवश्यकता पूरी करता है, की शर्त पर भारतीय उपग्रह प्रणाली हेतु चयन करने के लिए अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होगी।

(घ) अंतरिक्ष विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि नीति की विभिन्न प्रावधान प्रस्तावित प्रसारण कानून का अनुपालन करेगा।

(v) विनियमों एवं कानूनों में उपरोक्त नीति का पूर्णतया ध्यान रखना, जो दूरसंचार एवं प्रसारण क्षेत्रों में प्रतिपादित होंगी।

*****